न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 48 / 2021 Gcms No. 2021 / 120

दायरा तिथि : 12.07.2021

प्राथमिक डिक्री दिनांकः 20.09.2021 फाईनल डिक्री दिनांक 14-12-2021

वादी :–

तेजाराम पुत्र गेमाजी जाति सीरवी निवासी मुण्डारा
तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. पुष्पा पत्नि मोहनलालजी जाति मेघवाल
   निवासी मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
2. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री नेकाराम चौधरी .... अभिभाषक वादी की ओर से
2. श्री प्रवीण भंडारी .... अभिभाषक प्रतिवादी संख्या–01 की ओर से
3. नायब तहसीलदार पेरोकार सरकार

–:: निर्णय ::– दिनांक : 14-12-2021

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने ग्राम मुण्डारा पटवार हल्का मुण्डारा तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1032, 1032 / 1793 रकबा क्रमशः 0.99 हैक्टर, 0.72 हैक्टर कुल रकबा 1.71 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल लगानी 11.97 रूपये के संबध में वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि के रेकर्ड में दर्ज वादी व प्रतिवादी संख्या–01 का 1 / 2, 1 / 2 हिस्सा अनुसार विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र के समर्थन में वादी द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वर्णित भूमि की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 की प्रति व खसरा नक्शा की प्रति प्रस्तुत की गई।

प्रकरण में प्रतिवादी को सम्मन जारी किये जाने पर सम्मन तामील के बाद प्रतिवादी संख्या–01 वकालतन / असालतन दिनांक 28.07.2021 व उसके बाद की नियत पेशी पर न्यायालय में अनुपस्थित रहने से न्यायालय द्वारा दिनांक 24.08.2021 को प्रतिवादी संख्या–01 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण को वादी पक्ष की साक्ष्य के लिये रखा गया। दिनांक 20.09.2021 को वादी पक्ष की साक्ष्य के बतौर गवाह तेजाराम के बयान लिये जाकर प्रकरण में रेकर्ड में दर्ज वादी व प्रतिवादी संख्या –01 का 1 / 2, 1 / 2 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई। न्यायालय की प्राथमिक डिक्री जारी होने के पश्चात् दिनांक 21.09.2021 को प्रतिवादी संख्या–01 पुष्पा की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण भण्डारी ने प्रार्थना पत्र आदेश 09. नियम 07 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या–01 के विरूद्व दिनांक 24.08.2021 को पारित एक पक्षीय आदेश को अपास्त कर प्रतिवादी संख्या–01 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे को रेकर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली ने पक्षकारो के मध्य रेकर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार विभाजन करते हुये विभाजन रिपोर्ट अपने कार्यालय पत्रांक / राजस्व / 2021 / 1198 दिनांक 13.12.2021 से इस न्यायालय को प्रेषित किये गयेः–

क्रं. सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	नक्शे में दर्शित रंग
01	पुष्पादेवी पत्नि मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी मुण्डारा	1032	0.8550	बा.अ..	5.985	**नीला** पर्याप्त रास्ता खसरा नंबर 949
02	तेजाराम पुत्र गेमाजी जाति सीरवी निवासी मुण्डारा	1032 / 1 1032 / 1793	0.1350 0.7200	बा.अकृ बा.अ..	0.945 5.040	**काला** पर्याप्त रास्ता खसरा नंबर 949 एवं 1030

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस में वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये तहसीलदार, बाली द्वारा प्रेषित विभाजन रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुये इसी अनुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने की दलील दी। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–01 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के पश्चात् दिनांक 21.09.2021 को प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश को मनसुख किये जाने की मांग के साथ प्रस्तुत जवाबदावे को रेकर्ड पर लिये जाने की मांग की गई है, परन्तु जवाबदावा में उल्लेखित कथनो व वर्णित तथ्यो से यह प्रमाणित हैं कि वादी के रेकर्डेड 1 / 2 हिस्सा को छोडकर शेष 1 / 2 हिस्सा के सह खातेदार व अन्य दीगर पक्षकारो के मध्य विवाद है।

पेज लगातार.........2

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 48/2021 Gcms No. 2021/120
अनवान तेजाराम बनाम पुष्पा वगैरा
अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

जिससे प्रतिवादी संख्या–01 वादी के 1/2 हिस्सा बाबत् किसी प्रकार का उजर/ आपत्ति लेने की अधिकारी नहीं रहती है। इसके साथ ही प्राप्त विभाजन रिपोर्ट के सबंध में वकील वादी द्वारा सहमति व्यक्त करने तथा विभाजन प्रस्ताव रेकर्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार ही होने से एवं आवागमन के लिये रास्ता ईत्यादि की सुविधा उपलब्ध होने से पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस के पश्चात् ग्राम मुण्डारा पटवार हल्का मुण्डारा तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1032, 1032/1793 रकबा क्रमशः 0.99 हैक्टर, 0.72 हैक्टर कुल रकबा 1.71 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल लगानी 11.97 रूपये के संबध में वादी एवं प्रतिवादी संख्या– 01 के मध्य तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन रिपोर्ट के अनुसार टिनेन्सी एक्ट की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:–

क्रं. सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	नक्शे में दर्शित रंग
01	पुष्पादेवी पत्नि मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी मुण्डारा	1032	0.8550	बा.अ..	5.985	**नीला** पर्याप्त रास्ता खसरा नंबर 949
02	तेजाराम पुत्र गेमाजी जाति सीरवी निवासी मुण्डारा	1032/1 1032/1793	0.1350 0.7200	बा.अकृ बा.अ..	0.945 5.040	**काला** पर्याप्त रास्ता खसरा नंबर 949 एवं 1030

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। लगान राशि 11.97 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक पेश होने पर नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद के साथ नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, मुण्डारा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 15-12-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.

वादी :–
तेजाराम पुत्र गेमाजी जाति सीरवी निवासी मुण्डारा
तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. पुष्पा पत्नि मोहनलालजी जाति मेघवाल
   निवासी मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
2. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 48/2021 Gcms No. 2021/120
वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस के पश्चात् ग्राम मुण्डारा पटवार हल्का मुण्डारा तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1032, 1032/1793 रकबा क्रमशः 0.99 हैक्टर, 0.72 हैक्टर कुल रकबा 1.71 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल लगानी 11.97 रूपये के संबध में वादी एवं प्रतिवादी संख्या– 01 के मध्य तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन रिपोर्ट के अनुसार टिनेन्सी एक्ट की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:–

क्रं. सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	नक्शे में दर्शित रंग
01	पुष्पादेवी पत्नि मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी मुण्डारा	1032	0.8550	बा.अ..	5.985	**नीला** पर्याप्त रास्ता खसरा नंबर 949
02	तेजाराम पुत्र गेमाजी जाति सीरवी निवासी मुण्डारा	1032/1 1032/1793	0.1350 0.7200	बा.अकृ बा.अ..	0.945 5.040	**काला** पर्याप्त रास्ता खसरा नंबर 949 एवं 1030

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। लगान राशि 11.97 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक पेश होने पर नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद के साथ नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, मुण्डारा को लिखा जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा मूर्तिब किया।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14-12-2022 को जारी किया गया।

मोहर

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner